

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक: प.11(14)नविवि/लालगढ़ जाटान/2022

जयपुर, दिनांक : 05 MAY 2022

अधिसूचना

राजस्थान नगर सुधार अधिनियम 1959 (राजस्थान अधिनियम संख्या 35 सन् 1959) की धारा 3 की उपधारा (1) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार एतद् द्वारा लालगढ़ जाटान (जिला श्रीगंगानगर) के नगरीय क्षेत्र जिनमें निम्नलिखित राजस्व ग्राम/चक सम्मिलित होंगे, का सिविक सर्वे करने एवं मास्टर प्लान क्षितिज वर्ष-2043 तक के लिए तैयार करने हेतु वरिष्ठ नगर नियोजक, बीकानेर जोन, बीकानेर को नियुक्त किया जाता है:-

क्र.स.	चक का नाम (हिन्दी में)	चक का नाम (अंग्रेजी में)
1.	4 एलएलजी	4 LLG
2.	5 एलएलजी	5 LLG
3.	6 एलएलजी	6 LLG
4.	7 एलएलजी	7 LLG
5.	8 एलएलजी	8 LLG
6.	18 एसडीएस	18 SDS
7.	19 एसडीएस	19 SDS
8.	20 एसडीएस	20 SDS
9.	22 एसडीएस	22 SDS

राज्यपाल की आज्ञा से

(नवनीत कुमार)

संयुक्त शासन सचिव-द्वितीय

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
5. जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर।
6. निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर।
7. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
8. अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक (पश्चिम), राजस्थान, जयपुर।
9. वरिष्ठ नगर नियोजक, बीकानेर जोन, बीकानेर।
10. अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, लालगढ़ जाटान।
11. वरिष्ठ उप शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग को अधिसूचना राजस्थान राजपत्र के असाधारण अंक दिनांकमें प्रकाशन हेतु ऑनलाईन भिजवाये जाने एवं विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।
12. रक्षित पत्रावली।

॥
संयुक्त शासन सचिव-द्वितीय